

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-1/15324/2023 दिनांक-18.04.2023 एवं शा0सं0- 1/120994/2023/XXX (2)/E-33080 दिनांक-10.05.2023 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2023 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री कल्याण सिंह, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली का स्थानान्तरण सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर के पद पर किया जाता है।

श्री कल्याण सिंह, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

उक्त के साथ ही अग्रिम आदेशों/नियमित तैनाती तक नितान्त अस्थायी/कामचलाऊ व्यवस्था पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली के पद पर अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग में कार्यरत वरिष्ठतम कार्मिक श्रीमती इन्दू गोदियाल, सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1 कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर, देहरादून को प्रभारी के रूप में तैनाती प्रदान की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

ह0/-
(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/1599 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2023-24 दिनांक : 09/06/ 2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारी।
2. कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली (पौड़ी गढ़वाल)/रायपुर (देहरादून)।
3. सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल/ऊधमसिंहनगर।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी/अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. संयुक्त सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-1/15324/2023 दिनांक-18.04.2023 एवं शा0सं0- 1/120994/2023/XXX (2)/E-33080 दिनांक-10.05.2023 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2023 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री भगवान दास, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा का स्थानान्तरण, वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम के तहत सहायक निदेशक, निवेश, कृषि निदेशालय के पद पर किया जाता है।

श्री भगवान दास, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

ह0/-
(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/ 1600 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2023-24 दिनांक : 09/06/ 2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारी।
2. कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
4. उप कृषि निदेशक, मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण, कृषि निदेशालय।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी(नरेन्द्रनगर)।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय।
7. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. संयुक्त सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. गार्ड पत्रावली।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।
9/6

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-1/15324/2023 दिनांक-18.04.2023 एवं शा0सं0- 1/120994/2023/XXX (2)/E-33080 दिनांक-10.05.2023 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2023 में दी गई संस्तुति के आधार पर मोहम्मद ताहिर, सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर का स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रूड़की के रिक्त पद पर किया जाता है।

मोहम्मद ताहिर, सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। मो0 ताहिर का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ह0/-
(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/1601 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2023-24 दिनांक : 09/06/2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारी।
2. सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
3. कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, रूड़की।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी/अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. संयुक्त सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-1/15324/2023 दिनांक-18.04.2023 एवं शा0सं0-1/120994/2023/XXX (2)/E-33080 दिनांक-10.05.2023 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2023 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री रामनरेश, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट (कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी का अतिरिक्त प्रभार) का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा के पद पर किया जाता है।

श्री रामनरेश, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। श्री राम नरेश का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ह0/-
(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/1602 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2023-24 दिनांक : 09/06/ 2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारी।
2. कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट/चम्बा/मोरी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी/टिहरी (नरेन्द्रनगर)।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. संयुक्त सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-1/15324/2023 दिनांक-18.04.2023 एवं शा0सं0- 1/120994/2023/XXX (2)/E-33080 दिनांक-10.05.2023 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2023 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री सुघर सिंह वर्मा, सहायक निदेशक (निवेश), कृषि निदेशालय का स्थानान्तरण जनहित में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट के पद पर किया जाता है। साथ ही अग्रिम आदेशों/नियमित तैनाती तक नितान्त अस्थाई व्यवस्था पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है।

श्री सुघर सिंह वर्मा, सहायक निदेशक (निवेश) को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

ह0/-
(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/ 1603 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2023-24 दिनांक : 09/06/2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारी।
2. कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट/मोरी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. संयुक्त सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।
9/6

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-1/15324/2023 दिनांक-18.04.2023 एवं शा0सं0- 1/120994/2023/XXX (2)/E-33080 दिनांक-10.05.2023 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2023 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री अरविन्द कुमार गौतम, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता का स्थानान्तरण कृषि रक्षा अधिकारी, चम्पावत के पद पर किया जाता है।

श्री अरविन्द कुमार गौतम, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

उक्त के साथ ही अग्रिम आदेशों/नियमित तैनाती तक नितान्त अस्थायी व्यवस्था पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता का अतिरिक्त प्रभार श्री राजदेव पंवार, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर को उनके कार्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है, जिसके लिए उनको कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

ह0/-
(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/ 1604 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2023-24 दिनांक : 09/06/ 2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारी।
2. कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता/रायपुर।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून/चम्पावत।
6. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी/अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. संयुक्त सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।
9/6